

न्यायालय :- एन.आर. परमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भीकनगॉव
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर म.प्र.

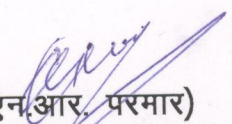
भीकनगॉव दिनांक 06.07.2020

:: सूचना ::

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुये माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुये इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 06.07.2020 से दिनांक 11-07-2020 तक नियत प्रकरणों, जमानत अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 06.07.2020 से दिनांक 11-07-2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती है।

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु अगामी दिनांक
06.07.2020	28.07.2020
07.07.2020	29.07.2020
08.07.2020	30.07.2020
09.07.2020	31.07.2020
10.07.2020	04.08.2020
11.07.2020	05.08.2020

नोट:- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवायी की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गयी है।


(एन.आर. परमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भीकनगॉव के न्यायालय के अतिरिक्त
न्यायाधीश जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायालय-फरहान एम. कुरैशी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 भीकनगांव
जिला मण्डलेश्वर (म.प्र.)

क्रमांक 16/भाप-

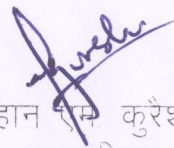
भीकनगांव, दिनांक 06.07.2020

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक 07.07.2020 से दिनांक 11.07.2020 तक नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क एवं जरूरी मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवायी नहीं होगी। दिनांक 07.07.2020 से दिनांक 11.07.2020 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियाँ नियत की जाती हैं :-

नियत दिनांक	सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवायी हेतु आगामी दिनांक
07.07.2020	20.08.2020
08.07.2020	21.08.2020
09.07.2020	24.08.2020
10.07.2020	25.08.2020
11.07.2020	26.08.2020

नोट :- अंतिम तर्क के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

आज्ञा से



(फरहान एम. कुरैशी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02
भीकनगांव, जिला मण्डलेश्वर

न्यायालय :- ज्योत्सना आर्य, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगांव, ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, भीकनगांव, प0निमाड

क्रमांक-..... /

भीकनगाँव, दिनांक-06.07.20

कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देश के पालन में एडवायजरी/निर्देश के अनुपालन में भारत में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इस न्यायालय के लम्बित सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में दिनांक-06.07.20 से दिनांक-11.07.20 तक के नियत प्रकरणों जमानत, अंतिम तर्क व आवश्यक मामलों को छोड़कर शेष समस्त मामलों की सुनवाई नहीं होगी। दिनांक-06.07.20 से दिनांक-11.07.20 तक पूर्व से नियत प्रकरणों में निम्नानुसार पेशी तिथि नियत की जाती है :-

क.	नियत तिथि	लम्बित सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत आगामी तिथि
01	06.07.2020	ग्राम न्यायालय-10.08.2020
02	07.07.2020	13.08.2020
03	08.07.2020	20.08.2020
04	09.07.2020	25.08.2020
05	10.07.2020	ग्राम न्यायालय-14.08.2020
06	11.07.2020	26.08.2020

नोट :- अंतिम तर्कों के मामलों को छोड़कर शेष मामलों की सुनवाई की तिथि उपरोक्तानुसार नियत की गई है।

(ज्योत्सना आर्य)
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भीकनगाँव, प. नि.
(ज्योत्सना आर्य)
ग्राम-न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय
भीकनगाँव